भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिकों को राज्य की सत्ता के विरुद्ध कितनी सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान का **भाग-3 (अनुच्छेद 12 से 35)** इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मौलिक अधिकार वे आधारभूत मानवाधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के **भौतिक** (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), **बौद्धिक**, **नैतिक** और **आध्यात्मिक** विकास के लिए अपरिहार्य हैं। इन्हें 'मौलिक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश की सर्वोच्च विधि यानी संविधान द्वारा सुरक्षा और गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग-3 को **'भारत का मैग्ना कार्टा' (Magna Carta of India)** की संज्ञा दी जाती है। यह अमेरिकी संविधान के 'बिल ऑफ राइट्स' (Bill of Rights) से प्रेरित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह अधिक विस्तृत और जटिल है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मौलिक अधिकारों की मांग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगातार उठती रही थी:

- सर्वप्रथम **1895 के 'स्वराज विधेयक'** में इसकी अनकही मांग देखी गई।
- **1928 की नेहरू रिपोर्ट** में मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की लिखित मांग की।
- **1931 के कराची अधिवेशन** (कांग्रेस) में वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था।
- अंततः संविधान सभा की 'मौलिक अधिकारों पर परामर्शदात्री समिति' (अध्यक्ष: सरदार पटेल) की सिफारिशों पर इसे संविधान में शामिल किया गया।

मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं

1. **न्यायोचित :** यदि इनका हनन होता है, तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) की शरण ले सकता है।
2. **असीमित नहीं :** यह अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। राज्य इन पर **'युक्तियुक्त प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions)** लगा सकता है। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप दंगे भड़काएं।
3. **राज्य के विरुद्ध सुरक्षा:** अधिकांश अधिकार राज्य (सरकार) की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ हैं, न कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ। (हालांकि, अनुच्छेद 17 और 23 निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं)।
4. **नकारात्मक और सकारात्मक प्रकृति:** कुछ अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं (जैसे- भेदभाव न करना), जबकि कुछ अधिकार विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं (जैसे- शिक्षा का अधिकार)।

5. **निलंबन:** राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन **44वें संविधान संशोधन (1978)** द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300-A) बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं:

(A) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

यह लोकतंत्र का आधार है। इसका उद्देश्य समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करना है।

- **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं।
- **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) में अवसर की समानता।
- **अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत।** यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।
- **अनुच्छेद 18:** उपाधियों का अंत (सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर)।

(B) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीढ़ है।

- **अनुच्छेद 19:** इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं:
    1. वाक् एवं अभिव्यक्ति (प्रेस की आजादी इसी में निहित है)।
    2. शांतिपूर्ण सम्मेलन।
    3. संघ/समिति बनाने का अधिकार।
    4. भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार।
    5. कहीं भी निवास करने का अधिकार।
    6. कोई भी वृत्ति/व्यापार करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 20:** अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं - Double Jeopardy)।
- **अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।** न्यायपालिका ने इसकी व्यापक व्याख्या की है। अब इसमें निजता का अधिकार (Privacy), स्वच्छ पर्यावरण, भोजन, और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी शामिल है।
- **अनुच्छेद 21(A):** शिक्षा का अधिकार (6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए)। इसे 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।
- **अनुच्छेद 22:** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

(C) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- **अनुच्छेद 23:** मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध।
- **अनुच्छेद 24:** कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध।

(D) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

यह भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को दर्शाता है।

- **अनुच्छेद 25:** अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।

(E) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

ये अधिकार मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हैं।

- **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यकों (धार्मिक और भाषाई) को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 30:** शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

(F) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे **"संविधान की आत्मा और हृदय"** कहा है। इसके बिना अन्य अधिकार अर्थहीन हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकता है:

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण :** "शरीर को प्रस्तुत किया जाए"। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए।
2. **परमादेश :** "हम आदेश देते हैं"। सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए आदेश।
3. **प्रतिषेध :** वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।
4. **उत्प्रेषण :** अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रद्द करना या मामले को ऊपर मंगाना।
5. **अधिकार पृच्छा :** किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता की जांच करना।

मौलिक अधिकारों का महत्व

1. ये देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
2. ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार कानूनों के अनुसार चले, न कि शासक की मर्जी से।
3. बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं।
4. अस्पृश्यता उन्मूलन और समानता के अधिकार के माध्यम से सामाजिक विषमता को कम करते हैं।

आलोचना एवं चुनौतियां

यद्यपि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इनकी कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है:

- आलोचक कहते हैं कि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और 'प्रतिबंधों' के माध्यम से दूसरे हाथ से वापस ले लेता है।
- 'लोक व्यवस्था', 'अल्पसंख्यक', 'युक्तियुक्त' जैसे शब्दों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा आदि को मौलिक अधिकारों में शामिल न करके नीति निदेशक तत्वों में रखा गया है, जो न्यायोचित नहीं हैं।
- आम आदमी के लिए अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाना अत्यंत खर्चीला और कठिन है।

वर्तमान प्रासंगिकता एवं विधिक विकास

समय के साथ न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों का दायरा विस्तृत किया है:

- **केशवानंद भारती वाद (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के **'मूल ढांचे'** को नहीं बदल सकती।
- **मेनका गांधी वाद (1978):** इसमें अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की गई और 'विधि की उचित प्रक्रिया' के सिद्धांत को अपनाया गया।
- **के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy)** को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

वर्तमान मुद्दे:

आज के डिजिटल युग में 'डेटा सुरक्षा', 'इंटरनेट का अधिकार' और 'हेट स्पीच बनाम अभिव्यक्ति की आजादी' जैसे मुद्दे मौलिक अधिकारों के समक्ष नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का वह प्रकाश स्तंभ है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। यद्यपि इन पर कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ये सीमाएं एक व्यवस्थित समाज के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर ने कहा था, *"मौलिक अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करते हैं, बल्कि वे एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की नींव भी रखते हैं।"*